

२५/२/२६

अधिवक्ता अपीलान्त अनु। प्रकरण में अपीलान्त व अधिवक्ता  
अपीलान्त की न्यायालय की चोर से चार-२ अवाजे  
लगाये गई, उसके साथबूद हुम्नकी चोर से जोई  
उपस्थित नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त प्रकरण में अधिवक्ता  
अपीलान्त की रेशो. के पंजीकृत समान पेश करने हेतु  
निदेशित किया गया तथा पूर्व में अनेकानेक अपील  
उदात्त किये गये, किन्तु अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा  
आदिनंत तह न्यायालय आदेशों की तहमील में अर्जिही  
नहीं की गयी। लिहाजा उक्त अपील अदम छपटी।  
पैरवी व अदम तहमील में खारिज की गयी हैं।

कैषण सुमार छेकर बाद आवश्यक अर्जिही तहमील  
दखर है।

राजस्व अपील प्राधिकारी  
पाली